

अमेरिकी टैरिफ से मुकाबले के लिए निर्यातकों को मिलेगा और प्रोत्साहन कैबिनेट ने नई निर्यात को दी मंजूरी

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** अमेरिका के 50% टैरिफ का मुकाबला करने के लिए नई निर्यात प्रोत्साहन नीति में निर्यातकों को कई रियायतें दी गई हैं। सरकार निर्यात प्रोत्साहन के लिए फंड बनाएगी। नीति में विदेश में प्रदर्शनी और मेलों आदि के आयोजन पर मदद चार गुना तक बढ़ा दी गई है। विदेश में मेलों व प्रदर्शनीयों के आयोजन पर कुल व्यय का 75% या ₹3 करोड़ की सहायता दी जाती थी। अभी तक यह धनराशि ₹75 लाख थी।

नोएडा में बनेगा सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर : नई नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना,



निर्यात प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना, डाक घर निर्यात केंद्र सहायता योजना, निर्यात क्रेडिट इश्योरेस सहायता योजना को शामिल किया गया है। नई पॉलिसी के तहत गौतमबुद्धनगर में सर्विसेज ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए ₹2.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नीति में निर्यात प्रधान जिलों में मर्चेडाइन्ड ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्र (एमटीएफसी) की स्थापना की जाएगी। केंद्रों की स्थापना पर ₹7.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है।

कटेनर से माल भेजने पर मिलेगी ₹30 लाख की सहायता : नई नीति में गेटवे पोर्ट पर निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल भाड़े पर अनुदान योजना को भी शामिल किया गया है। इसके तहत 20 फुट के कटेनर से माल भेजने पर ₹20,000 और 40 फुट के कटेनर से माल भेजने पर ₹40,000 या अधिकतम ₹30 लाख प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही वर्ष में ₹5 करोड़ या उससे कम के उत्पादों का निर्यात करने पर भी छोटे निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वायुयान भाड़ा युक्तीकरण योजना के तहत ₹150 प्रति किलोग्राम या अधिकतम ₹10 लाख तक की राशि प्रतिवर्ष प्रति इकाई दी जाएगी। डाकघर के माध्यम से छोटे निर्यातकों को उत्पाद भेजने के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम ₹1 लाख तक की सहायता राशि जारी की जाएगी। निर्यात करने के साथ ही निर्यात वृद्धि पर एक प्रतिशत या अधिकतम ₹20 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।



योगी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी पर लगाई मुहर यूपी में ही बनेंगे लैपटॉप और मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कंपोनेंट

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए सरकार अब इसके कंपोनेंट के निर्माण पर भी फोकस बढ़ा रही है। निवेशकों को बेहतर सुविधा व प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की यूनिट लगाने पर केंद्र के बराबर ही अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नीति से मिलने वाले इंसेंटिव के चलते लैपटॉप, मोबाइल जैसे अन्य गैजेट्स के कंपोनेंट यूपी में ही बनेंगे, अभी इनका एक्सपोर्ट करना पड़ता है।

मंत्री ने बताया कि यूपी में कंपोनेंट तैयार होने से निवेश व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ही उत्पाद भी सस्ते होंगे। प्रमुख सचिव आईटी अनुराग यादव ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में खूब प्रगति हुई है। 2015 में जहां केवल 2 यूनिट मोबाइल बनाती थीं, आज 300 यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का उत्पादन ₹1.90 लाख करोड़ से बढ़कर ₹11 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। मोबाइल फोन का निर्यात ₹1,500 करोड़ से ₹2 लाख करोड़ तक पहुंचा है। इसमें 50% मोबाइल फोन यूपी में बनते हैं। देश में अगले 5 सालों में इस सेक्टर में 500 मिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, हमारी कोशिश यह है कि इसमें 50% हिस्सेदारी यूपी की हो।

11 कंपोनेंट बनेंगे, सप्लाई चेन भी मजबूत होगी : पॉलिसी के तहत 11 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व उसके कंपोनेंट तैयार किए जाएंगे, जिसमें डिस्प्ले माड्यूल सब-असेंबली, कैमरा माड्यूल सब-असेंबली, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हाई-डेंसिटी इंटरकनेक्ट, फ्लैक्सिबल पीसीबी और लिथियम-आयन सेल्स जैसे नान-सरफेस माउंट डिवाइस (नान-एसएमडी), पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पार्ट्स और आईटी हाईवेयर उत्पादों के एनक्लोजर शामिल हैं। प्रदेश में कैपिटल गुड्स और सप्लाई चेन सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जरूरी सब कंपोनेंट आदि नहीं बन सकें।

2015 में केवल 2 यूनिट मोबाइल बनाती थीं, आज 300 यूनिट्स हैं



कैबिनेट के फैसले

शाहजहांपुर में बनेगा स्वामी शुकदेवानंद राज्य विवि

कैबिनेट ने शाहजहांपुर में शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की शैक्षणिक इकाइयों को अपग्रेड किया जाएगा। ट्रस्ट के तहत डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय, इंटर कॉलेज संचालित है। ट्रस्ट की लगभग 20 एकड़ जमीन विवि के लिए आवंटित की जाएगी।

जीआईसी में 47 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए कैबिनेट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में 47 पद विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वीकृत किया है। इस पर भर्ती विशेष योग्यता वाले शिक्षकों की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश पांडेय बनाम भारत सरकार के मामले में सभी राज्यों से कहा था कि माध्यमिक स्कूलों में 15 विशेष बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों में 692 विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके आधार पर 47 पदों को नोटिफाई किया गया है। इन पदों को राजकीय इंटर कॉलेज में पहले से ही

नोटिफाई कुल शिक्षकों के पदों में ही समायोजित किया जाएगा।

नगराम सहित 15 CHC हॉस्पिटल में अपग्रेड होगी

लखनऊ की नगराम सहित 15 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) को पीपीपी मॉड पर 30 बेड के हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके टेडर डॉक्युमेंट को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत वाराणसी की गजोखर, चित्रकूट की राजापुर, कुशीनगर की खड्डा, श्रावस्ती की मल्होपुर, गोरखपुर की बेलघाट, महाराजगंज की अड्डा बाजार, बलिया की सुखपुरा, सोनभद्र की बभनी, बलरामपुर की खजुरिया, सिद्धार्थनगर की सिरसिया, लखीमपुर खीरी की चंदन चौकी, बहराइच की विश्वेश्वरगंज, चंदौली की भोगवारा, फतेहपुर की दपसौरा CHC को भी अपग्रेड किया जाना है। यहां मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा और जांच, दवा व इलाज पर आने वाले खर्च की भरपाई सरकार करेगी। स्टॉफ, फार्मसी

आदि की व्यवस्था निजी संस्था करेगी, जिससे इसके संचालन का एमओयू किया जाएगा।

4 कंपनियों को मिलेगा लेटर ऑफ कंफर्ट

प्रदेश को औद्योगिक नीति 2022 के तहत चार कंपनियों को इकाई स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के लिए कैबिनेट ने सहमति दे दी है। इसके तहत वाईटीटी इंडस्ट्रीज 278 करोड़ रुपये निवेश कर एथेनॉल व पोल्ट्री फीड का उत्पादन कर रही है। वहीं, ओकासंगा एग्रीटेक खदरी में 510 करोड़ रुपये के निवेश से बेकरी उत्पादों का संयंत्र लगाएगी, जबकि वुडपेकर ग्रीन एग्री न्यूट्रिएंट्स फर्रुखाबाद में 570 करोड़ रुपये का वीयर प्लांट स्थापित करेगी। कैबिनेट ने देवरिया में फॉरएवर डिस्टिलरी को 250 करोड़ रुपये के निवेश से एथेनॉल व एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उत्पादन यूनिट लगाने को भी मंजूरी दे दी है। यहां अक्टूबर से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा।

विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष

मंगलवार को हुई योगी सरकार की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का कार्यकाल केन्द्रीय विधि आयोग की तर्ज पर किए जाने का फैसला किया है। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष की जगह तीन वर्ष और सेवा शर्त भी उसी के अनुरूप होगी।

वाराणसी में दिव्यांगों के लिए समेकित केंद्र बनेगा

सरकारी वाराणसी के रामनगर में 3 एकड़ भूमि समेकित क्षेत्रीय केंद्र के निर्माण के लिए दिव्यांगजन सहायक विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को निःशुल्क देगी। यहां दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं, प्रशिक्षण, शिक्षा, कौशल विकास के साथ ही उनके सहयोगी उपकरणों की डिजाइनिंग आदि कार्य होंगे।